

23.12.24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में  
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम  
से अलग-अलग समय पर तीन बार  
आवाज दिमाई गई।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता  
वादी एवं वादीगण के काम से अपने  
वाद को लेकर गंभीर नहीं है।

लिखाजा वादी का वाद 'अदम पेखी'  
व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया  
जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल  
दफतर हो व नंबर से कम हो।

23/12/24  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर